भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2526
दिनांक 03 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआईपीईआर की स्थिति

2526. डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः
श्री वी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
श्री प्रताप सिम्हाः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के परिसर को स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यकलापों और इसकी स्थापना हेतु पहचान किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में चल रहे वर्तमान एनआईपीईआर संस्थानों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या देश में एनआईपीईआर को राष्ट्रीय महत्व देने का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो इसकी विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त प्रस्ताव के कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार का तमिलनाडु (मदुरई), छत्तीसगढ़ (नया रायपुर), महाराष्ट्र (नागपुर), राजस्थान (झालावाड़) और कर्नाटक (बंगलोर) राज्यों में पांच नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का प्रस्ताव है। विद्यमान सात नाईपर को सशक्त करने और पांच नए

नाईपर की स्थापना के हेतु वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए 4,300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक समेकित ईएफसी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। प्रस्ताव में परिसरों का विनिर्माण, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन, छात्रों को फेलोशिप और अन्य प्रशासनिक और शैक्षणिक खर्च भी शामिल हैं। ये संस्थान मुख्य रूप से स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने एवं औषध और चिकित्सा उपकरणों की विभिन्न विशेषज्ञताओं में उच्चतम अनुसंधान करने से संबंधित, समय-समय पर संशोधित नाईपर अधिनियम, 1998 में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करेंगे। पांच वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती व्यय सहित एक नया नाईपर स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 310 करोड़ रुपए हैं।

(ग): वर्तमान में, देश भर में सात नाईपर एसएएस नगर (मोहाली, पंजाब), अहमदाबाद (गुजरात), गुवाहाटी (असम), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (तेलंगाना), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ): जी, हां। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम , 1998 (1998 का 13) को एसएएस नगर (मोहाली, पंजाब) में नाईपर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के संस्थान स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने हेतु अधिनियम को बाद में वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था। इसके पश्चात् वर्ष 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में छह नए संस्थान स्थापित किए गए।

नाईपर (संशोधन) विधेयक, 2021, जो वर्तमान में संसद के विचाराधीन है, में प्रावधान है कि विद्यमान छह नाईपर और साथ ही नाईपर अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य समान संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे।

*****